न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

राजस्व आवेदन पत्र सं. 28/2017

प्रार्थी –

1. मांगुसिंह पुत्र लक्ष्मणाराम
   जाति पुरोहित निवासी रोडियों का
   तला, तहसील चौहटन जिला बाडमेर

बनाम

अप्रार्थी –

1. तहसीलदार चौहटन

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी एवं धारा 151 सीपीसी विरूद्ध नामान्तरकरण आदेश संख्या 30 मौजा रोडियों का तला जो तहसीलदार चौहटन द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री हाकम सिंह भाटी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 15.01.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा **144 सीपीसी एवं धारा 151 सीपीसी** के तहत अप्रार्थी तहसीलदार चौहटन के द्वारा खसरा संख्या 162 के नामान्तरकरण आदेश संख्या 30 के विरूद्ध पेश किया गया है।

2. प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि रतनाराम पुत्र बादराराम भील द्वारा न्यायालय अपर कलक्टर, बाडमेर में मांगुसिंह के पिता लिछमणाराम के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 86 राज. भू–राजस्व अधिनियम बाबत रिव्यू करने भूमि आवंटन आदेश दिनांक 14.04.1979 द्वारा अतिरिक्त जिलाधीश, बाडमेर पेश की जिसमें न्यायालय अपर कलक्टर, बाडमेर द्वारा राजस्व आवेदन पत्र संख्या 13/83 दिनांक 21.04.1990 में रतनाराम का प्रार्थना पत्र खारिज कर लिछमणाराम के भूमि आवंटन को यथावत बहाल रखने का आदेश दिया। तत्पश्चात् रतनाराम द्वारा न्यायालय भू प्रबंधन अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी बाडमेर–जैसलमेर में रतनाराम द्वारा लिछमण राम के विरुद्ध अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरुद्ध [illegible] अतिरिक्त कलक्टर, बाडमेर मुकदमा राजस्व आवेदन पत्र संख्या [illegible] 21.04.1990 पेश की जिसमें न्यायालय भू प्रबंधन अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील [illegible] बाडमेर–जैसलमेर द्वारा अपील संख्या [illegible] 30.10.1998 में रत[illegible] अपील स्वीकार कर न्यायालय अपर कलक्टर, बाडमेर के आदेश दिनांक 21.04.1990 को निरस्त किया। जिसके विरुद्ध लिछमणराम द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर में रतनाराम एवं तहसीलदार, चौहटन के विरुद्ध प्रार्थना

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:50:23 IST
Reason: SelfAttested

पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 94 एवं 151 सीपीसी विरुद्ध आदेश 30.10.1998 पेश किया जिसमें न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 5/2022 दिनांक 01.10.2003 में लिछमणाराम का प्रार्थना पत्र खारिज कर न्यायालय भू प्रबंधन अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी बाडमेर–जैसलमेर के आदेश दिनांक 30.10.1998 को विधिसम्मत बताया। इसके उपरान्त लिछमणाराम द्वारा रतनाराम एवं राजस्थान सरकार के विरुद्ध न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में निगरानी अंतर्गत धारा 83 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत राजस्व अपील अधिकारी, बाडमेर द्वारा पारित किए गए निर्णय दिनांक 01.10.2003 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई जिसमें राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा निगरानी संख्या 884/2004 में राजस्व अपील अधिकारी, बाडमेर का निर्णय दिनांक 01.10.2003 को निरस्त कर दोनों पक्षों को सुनकर मेरिट पर निर्णय पारित करने के आदेश दिए। तत्पश्चात् रतनाराम द्वारा लिछमणाराम एवं राजस्थान सरकार के विरुद्ध न्यायालय भू प्रबंधन अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर–जैसलमेर में अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाडमेर मुकदमा संख्या 13/83 दिनांक 21.04.1990 पेश की जिसमें न्यायालय भू प्रबंधन अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर–जैसलमेर द्वारा अपील संख्या 13/06 दिनांक 23.07.2008 में रतनाराम की अपील खारिज कर अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाडमेर मुकदमा संख्या 13/83 दिनांक 21.04.1990 के आदेश को यथावत रखने का आदेश दिया।

3. प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी के अधिवक्तागण को सुना। अधिवक्ता प्रार्थी ने जिरह में बताया कि प्रार्थी के पिता लक्ष्मणराम उर्फ लक्ष्मणसिंह को भूमिहीन सद्भावी काश्तकार मानकर आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 14.04.1979 को खसरा नंबर 162 रकबा 48 बीघा 07 बीस्वा मौजा बावडी कला मौजूदा गांव रोडियों का तला तहसील चौहटन आवंटन किया गया, जिस पर प्रार्थी के पिता का जीवनकाल में कब्जा रहा तथा देहान्त पश्चात उसके वारिसान यथा प्रार्थी एवं उसकी माता श्रीमती धाईदेवी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त खसरे पर आवंटन के दिन मुस्समी [illegible] कब्जा काश्त नहीं था। मुस्समी रतनाराम द्वारा स्वर्गीय लक्ष्मणसिं[illegible] गये आवंटन दिनांक 14.04.1979 को खारिज करवाने [illegible] भू–राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र अदालत हाजा [illegible], बाडमेर के समक्ष पेश कर आवंटन को निरस्त क[illegible]जो बाद सुनवाई दिनांक 21.04.1984 को प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। इससे पूर्व तहसीलदार चौहटन द्वारा आवंटन को खारिज करने हेतु प्रार्थना पत्र अदालत हाजा में पेश किया था जो प्रकरण संख्या 94/81 को दर्ज होकर बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र निरस्त

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:50:23 IST
Reason: SelfAttested

तारीख 10.11.82 को कर दिया तथा आवंटन बहाल रखा था। उसके बाद मुस्समी रतनाराम द्वारा पुनः अदालत हाजा श्री अति. जिला कलक्टर, बाडमेर में प्रार्थना पत्र पेश किया जो बाद सुनवाई दिनांक 21.04.1990 को खारिज कर दिया एवं आवंटन बहाल रखा। आदेश दिनांक 21.04.1990 के विरुद्ध मुस्समी रतनाराम द्वारा श्री राजस्व अपील अधिकारी मु. जोधपुर में पेश की जो दिनांक 30.10.1998 को स्वीकार की गई। अपील में निर्णय दिनांक 30.10.1998 के खिलाफ आवंटी लक्ष्मणराम द्वारा राजस्व मण्डल में निगरानी पेश की जो प्रकरण संख्या 884/2004 निर्णय दिनांक 15.07.2006 को स्वीकार कर राजस्व अपील अधिकारी मु. जोधपुर को पुनः सुनवाई करने हेतु रिमाण्ड किया जिसका राजस्व अपील अधिकारी बाडमेर–जैसलमेर मु. जोधपुर प्रकरण संख्या 9/93 दर्ज कर बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 23.07.2008 अपील संख्या 9/93 आदेश दिनांक 30.10. 1998 को खारिज की और आवंटन बहाल रखा गया परन्तु इस बीच राजस्व अपील अधिकारी मु. जोधपुर के आदेश दिनांक 30.10.1998 के अनुसार स्व. लिछमणराम का नाम खातेदारी नामान्तरकरण 30 में खारिज कर खालसा सरकार दर्ज कर दी। जिसके विरूद्ध यह राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी एवं धारा 151 सीपीसी इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.10.2017 को प्रस्तुत की गई है एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि राजस्व अपील अधिकारी मु. जोधपुर के आदेश दिनांक 30.10.1998 के अनुसार स्व. लिछमणराम का नाम खातेदारी नामान्तरकरण 30 में खारिज कर खालसा सरकार दर्ज होने से प्रार्थी एवं उसकी माता का नाम रेकर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण प्रार्थी को हर साल अतिक्रमी माना जाकर हजारों रूपयों का जुर्माना किया जा रहा है। इस साल भी अतिक्रमी मानकर प्रकरण धारा 91 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत दर्ज कर दिया है और आशंका है कि इस साल भी अतिक्रमी मान लेंगे। प्रार्थी द्वारा श्रीमान तहसीलदार चौहटन को कई बार निर्णयों की प्रतिलिपियां पेश कर निर्णयों अनुसार यथास्थिति लाने का निवेदन किया परन्तु आज तक निर्णयों अनुसार यथास्थिति नहीं लाई गई है। लिहाजा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाकर नामान्तरकरण संख्या 30 मौजा रोडियों का तला को खारिज फरमा कर आवंटी स्व. लक्ष्मणराम के स्थान पर प्रार्थी एवं उसकी माता धाईदेवी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया है।

5. अप्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित [illegible]

6. हमने प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा [illegible] बहस पर मनन किया एवं संबंधित राजस्व अभिलेख एवं तहसीलदार चौहटन से [illegible] का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि [illegible] अपील [illegible]कारी बाडमेर–जैसलमेर में दायर अपील संख्या 13/06 के आदेश दिनांक 23.07.2008 में अपीलांट की अपील खारिज कर अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाडमेर के आदेश दिनांक 21.04. 1990 को प्रार्थी के पिता लक्ष्मणराम के पक्ष में आवंटन यथावत बहाल रखने के

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:50:23 IST
Reason: SelfAttested

आदेश को पारित किया गया। तहसीलदार चौहटन की मौका रिपोर्ट कमांक 1430 दिनांक 23.02.2022 में भी यह बताया गया है कि मौके पर प्रार्थी की रहवासी ढाणी है जिस पर खरीफ की काश्त की जा रही है तथा संवत् 2063 से लगातार कब्जा प्रार्थी का है। इस वाद के अलावा उक्त विवादित भूमि पर अन्य कोई वाद दायर नहीं है। लिहाजा राजस्व अपील अधिकारी बाडमेर–जैसलमेर में दायर अपील संख्या 13/06 दिनांक 23.07.2008 का आदेश अंतिम है, जिसकी पालना में रेकर्ड में ईन्द्राज बहाल किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह आवेदन स्वीकार करते हुए नामान्तरकरण संख्या 30 मौजा रोडियों का तला में पूर्व की स्थिति बहाल कर तहसीलदार, चौहटन को आदेशित किया जाता है कि नामान्तरकरण संख्या 30 मौजा रोडियों का तला को आवंटी स्व. लक्ष्मणराम के स्थान पर प्रार्थी एवं उसकी माता धाईदेवी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करें।

8. निर्णय आज दिनांक 15.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:50:23 IST
Reason: SelfAttested